सं.ए.12018/04/2020-डीआरएस(भाग-1)
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
(औषधि विनियमन अनुभाग)

*****

निर्माण भवन, नई दिल्ली
दिनांक: 14 अक्तूबर, 2022

सार्वजनिक सूचना

यह मंत्रालय आरडीटीएल, गुवाहाटी, केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रवर श्रेणी लिपिक के पद के भर्ती नियम तैयार करने के लिए प्रस्ताव की जाँच कर रहा है। इस संबंध में, भर्ती नियमो का मसौदा तैयार कर लिया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

2. इसे अंतिम रूप देने से पहले,इस मामले में सभी हितधारकों की टिप्पणियां, यदि कोई है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर इस अधिसूचना की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर, आमंत्रित की जाती हैं। हितधारकों से निर्दिष्ट अवधि के अंदर प्राप्त टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर मंत्रालय द्वारा भर्ती नियमों को अंतिम रूप देने से पहले नियमों/आवश्यकता के अनुसार विचार किया जाएगा।

3. टिप्पणियाँ अधोहस्ताक्षरी को कमरा संख्या 434-सी, 'सी' विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 के पते पर भेजी जाएं या कृपया drugsdiv-mohfw@gov.in. पर भेजी जाएं।

संलग्नक:/यथोपरि

(बिकाश आर माहतो)
अवर सचिव, भारत सरकार,
दूरभाष:- 011-23061141

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल या वेतनमान	क्या चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती के लिए आयु-सीमा।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रवर श्रेणी लिपिक	01* (2022) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	लेवल 4	चयन	लागू नहीं

सीधे भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	क्या सीधी भर्ती के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(10)	(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति . द्वारा, जिसके नहीं होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	प्रोन्नति अवर श्रेणी लिपिक जो ग्रेड में आठ वर्ष की नियमित सेवा रखते हैं प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के अधिकारी: ऐसे व्यक्ति जो केंद्रीय सरकार के समतुल्य या समकक्ष या सदृश पद पर हो अथवा स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय/स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में कार्य कर रहे ऐसे अवर श्रेणी लिपिक जिन्होंने आठ वर्ष की नियमित सेवा कर ली है।	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण/प्रान्नति के विचारार्थ) : 1. निदेशक, क्षेत्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, गुवाहाटी- अध्यक्ष 2. उप औषधि नियंत्रक (भारत) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (पूर्वी क्षेत्र)-सदस्य 3. उप निदेशक (प्रशासन) (औषधि)- सदस्य 4. केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशाला का समूह क अधिकारी- सदस्य	लागू नहीं

[फा.ए.12018/04/2020-डीआरएस(भाग-1)]

(बिकाश आर माहतो)

अवर सचिव, भारत सरकार